न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 54/2022

अनवान : –

1. रसीद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. अब्दुल हमीद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
2. आमना पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
3. आमीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
4. गफुर पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
5. जुबेदा पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
6. नेक मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
7. निशा पुत्री नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
8. फरीद पुत्र नूर मोहम्मद जौति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
9. मकबुल पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुलसमान निवासी वार्ड सं. 40 नोहर तहसील नोहर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांक: 24/10/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा [illegible] तहसील [illegible] नोहर के खाता स0 65/52 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान [illegible] काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल व गैरसायल के नाम वाद भूमि मुश्तरका दर्ज है जिसका फायदा उठाकर गैरसायल स0 1 खेत के नहर का पानी बेचाना चाहता है उक्त नहर पानी संयुक्त खाते का है जिसका विभाजन आज तक नही हुआ है जब तक विभाजन नही हो जाता है तब तक खेत का पानी खेत में ही रहना चाहिए इसलिए गैरसायल स0 1 को पाबन्द किया जावे की जब तक वाद भूमि का खाता व लगान अलग न हो तब तक वाद भूमि को रहन बैय न करे एवं पानी में किसी प्रकार का हस्तानान्तरण न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

बहस अधिवक्ता वकील प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायल व गैरसायल के नाम वाद भूमि मुश्तरका दर्ज है जिसका फायदा उठाकर गैरसायल स0 1 खेत के नहर का पानी बेचाना चाहता है उक्त नहर पानी संयुक्त खाते का है जिसका विभाजन आज तक नही हुआ है जब तक विभाजन नही हो जाता है तब तक खेत का पानी खेत में ही रहना चाहिए इसलिए गैरसायल स0 1 को पाबन्द किया जावे की जब तक वाद भूमि का खाता व लगान अलग न हो तब तक वाद भूमि को रहन बैय न करे एवं पानी में किसी प्रकार का हस्तानान्तरण न करे।

हमने बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 65/52 की कुल 1.1380 हैक्ट भूमि सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के पानी का बेचान किया जा रहा है लेकिन प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थी द्वारा पानी मे मदखलत किया जा रहा है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होती है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/10/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:14:11 IST
Reason: SelfAttested